तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
28/6/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप0। विप्रार्थी संख्या 3, 4, व 17 के वकील उप0। शेष विप्रार्थीगण अनु0। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1064/830 रकबा 04.04 बीघा मौजा एड की बस्ती , खेत खसरा नम्बर 593 रकबा 10.01 बीघा मौजा रामदेरिया तथा खेत खसरा नम्बर 1148/167, 1161/32 रकबा कमशः 24.04, 03.10 बीघा मौजा उचावडा पटवार मण्डल काश्मीर तह0 शिव मे आई हुई है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा – सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एव विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है। तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 17 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे। विप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री हरीराम चौधरी एवं विप्रार्थी संख्या 17 की ओर से वकील श्री बालाराम गोदारा ने वकालतनामा मय जवाब आवेदन व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। शेष विप्रार्थी संख्या 01, 02 व 05 से 16 बावजुद सुचना अनु0। अतः सी.पी.सी.Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण को सम्मन तामील हो गए है। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थी संख्या 01, 02 व 05 से 16 अनुपस्थित। अतः विप्रार्थी संख्या 01, 02, 05 से 16 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। विप्रार्थी संख्या 03 व 04 के अधिवक्ता ने अपने जवाब आवेदन मे निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 03 व 04 की	

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि का जो विभाजन किया गया है उस विभाजन को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में चुनोति दी गयी है। एवं इस राजस्व अपील में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। प्रार्थीगण में पृथक पृथक राजस्व ग्रामो में अवस्थित भूमि का उक्त एक ही आवेदन प्रस्तुत किया है। जो विधि विरूद्व है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथ्यो को छुपाकर विधिक प्रावधानो से हटकर प्रस्तुत किया होने से खारिज किया जावें। विप्रार्थी संख्या 17 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के साथ साथ स्वय की खातेदारी भूमि की नेखंबदी किये जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पृथक पृथक राजस्व ग्रामो का अवश्य है किन्तु समस्त राजस्व ग्रामो का पटवार हल्का एवं भू– अभिलेख निरीक्षक एक ही होने से यह विधि विरूध नही है। विप्रार्थी संख्या 04 ने मूल खेत खसरा नम्बर 32 मौजा उचावडा तह0 शिव के विभाजन को राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के न्यायालय मे चुनोति दी है तथा इसी खसरा नम्बर की भूमि पर स्थगन आदेश है अतः प्रार्थीगण इस खसरा नम्बर की भूमि के अलावा अन्य खातेदारी के खेतो की नेखमबंदी करवा सकता है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। विप्रार्थी संख्या 17 की खातेदारी भूमि मूल खसरा नम्बर 32 का ही पृथक खसरा नम्बर है जो माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर में विचाराधीन राजस्व अपील से प्रभावीत होने से काउण्टर क्लेम स्वीकार योग्य नही है। अतः मूल खसरा नम्बर 32 से विभक्त खसरा नम्बर को छोडते हुए अन्य खातेदारी खेतो के प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दीयों का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थी संख्या 1 से 17 के खेत की सीमा से लगती है।

अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीनी संख्या 8 के खेत की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

– आदेश –

अतः प्रार्थीगण आदुरामर पुत्र खेमाराम, जाति– जाट, नि0 उचावडा, तह0 शिव व अन्य का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से

Scanned by CamScanner

स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1064/830 रकबा 04.04 बीघा मौजा एड की बस्ती , खेत खसरा नम्बर 593 रकबा 10.01 बीघा मौजा रामदेरिया तथा खेत खसरा नम्बर 1148/167 रकबा क्रमशः 24.04 बीघा मौजा उचावडा पटवार मण्डल काश्मीर तह0 शिव भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रूपये प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :– 46/2019

क्रमांक/आवेदन/19/4348 दिनांक–28/6/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
आदुराम पुत्र खेमाराम, जाति– जाट, नि0 उचावडा, तह0 शिव वगैरा (3)		**पूनमाराम पुत्र मालाराम वगैरा (17)**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी एवं विप्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1064/830 रकबा 04.04 बीघा मौजा एड की बस्ती , खेत खसरा नम्बर 593 रकबा 10.01 बीघा मौजा रामदेरिया तथा खेत खसरा नम्बर 1148/167 रकबा क्रमशः 24.04 बीघा मौजा उचावडा पटवार मण्डल काश्मीर तह0 शिव भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमीशनर शुल्क 1000/– मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/4349-54 दिनांक–28/6/19

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी काशमीर को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना **शिव को पालनार्थ।**
5. प्रार्थीगण **आदुराम पुत्र खेमाराम** वगैरा (03) **को सूचनार्थ ।**
6. विप्रार्थीगण **पूनमाराम पुत्र मालाराम वगैरा (17) को सूचनार्थ।**

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 18:20:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: